58

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1614-तीन/2006 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 07-07-2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 10/1998-99 अपील

संतोष कुमार पुत्र हरिहरप्रसाद पटैल
ग्राम सिवपुरवा तहसील गुढ़ जिला रीवा
हाल मुकाम हर्दी तहसील गुढ़ जिला रीवा ---आवेदक

विरूद्ध

1- रामाश्रय पटैल पुत्र राधे पटैल
2- शिवाश्रय पटैल पुत्र राधे पटैल
निवासीगण ग्राम सिवपुरवा तहसील गुढ़
जिला रीवा मध्य प्रदेश --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक क्र-1,2 सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 03 -5-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-7-2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार गुढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौजा शिवपुरवा की भूमि सर्वे क्रमांक 448 रकबा 1.00 एकड़ तथा 452 रकबा 0.75 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर लम्बे समय से कब्जा चले आने के आधार पर कब्जा दर्ज करने की मांग की। तहसीलदार गुढ़ ने प्रकरण क्रमांक 10 अ-6-अ/ 97-98 पंजीबद्ध किया तथा

सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 18-2-1998 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी रायपुर चकिंलियान के समक्ष के अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर चकिंलियान जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 19 अ-6-अ/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-9-98 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 18-2-1998 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 10/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-7-2006 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में व्यक्त किया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच मात्र कब्जे का विवाद है स्वत्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, किन्तु दीवानी न्यायालय में स्वत्व का विवाद होने के आधार पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 7-7-06 से निगरानी निरस्त करने में भूल की है इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 17-9-08 पारित करते समय इस पर गौर नहीं किया है कि जब तहसीलदार ने मौके पर किसका कब्जा है इसकी तथ्य की जांच की है मौके पर वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का कब्जा होना पाया गया है तब कब्जे दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी को कब्जे के मामले में दखलन्दाजी नहीं करना थी। उन्होंने अपर आयुक्त एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त करने की मांग की।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 10/1998-99 अपील के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित अपील में यह तथ्य आया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दीवानी वाद कब्जे को लेकर एंव स्वत्व को लेकर लम्बित है जिसके कारण उन्होंने आदेश दिनांक 7-7-2006 में निर्णय लिया है कि जब कब्जे को लेकर एंव स्वत्व को लेकर दीवानी वाद लम्बित है माननीय

व्यवहार न्यायालय से आदेश होने के उपरांत ही कब्जे एवं स्वत्व के विवाद का विनिश्चय हो सकेगा, क्योंकि माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राज्सव न्यायालय पर बन्धनकारी है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-7-2006 में लिये गये निर्णय में दखलन्दाजी करना उचित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-7-2006 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर